

महंगाई भत्ता

विषय सूची

क्र० सं०	विषय	शासनादेश संख्या / दिनांक	पृष्ठ संख्या
1.	राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2010 से महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण	सं० 579 / xxvii(7)म०भ० / 2010 दिनांक 09 जून, 2010	255-256
2.	राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति के संबंध में	सं० 595 / xxvii(7)म०रा० / 2010 दिनांक 09 जून, 2010	257-258
3.	दिनांक 1.1.2006 से अनुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत राज्य कर्मचारियों/स्थानीय निकाय तथा सहायता प्राप्त शिक्षण तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को दिनांक 1.1.2010 से महंगाई भत्ता पुनरीक्षण	सं० 652 / xxvii(7) / म०भ० / 2010, दिनांक 20 अगस्त, 2010	259-260
4.	राज्य सरकार के अपुनरीक्षित वेतन प्राप्त करने वाले सिविल/पारिवारिक पेंशनरों को महंगाई राहत की स्वीकृति के संबंध में	सं० 653 / xxvii(7)म०रा० / 2010 दिनांक 20 अगस्त, 2010	261-262
5.	राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी, स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को दिनांक: 01 जुलाई, 2010 से महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण।	सं० 725 / xxvii(7) म०भ० / 2010, दिनांक 26 अक्टूबर, 2010	263-264
6..	राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत भत्ता की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	सं० 734 / xxvii(7)म०रा० / 2010, दिनांक 26 अक्टूबर, 2010	265-266
7.	दिनांक 1.1.2006 से अपुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत राज्य कर्मचारियों/स्थानीय निकाय तथा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को दिनांक 1.7.2010 से महंगाई भत्ता का पुनरीक्षण	सं० 745 / xxvii(7) म०भ० / 2010 दिनांक 08 नवम्बर, 2010	267-268
8.	राज्य सरकार के अपुनरीक्षित पेंशन प्राप्त करने वाले सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	सं० 801 / xxvii(7)म०रा० / 2010 दिनांक 24 दिसम्बर, 2010	269-270

प्रेषक,

राधा रतूडी
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
- 2- वित्त अधिकारी / कुल-सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
- 3- समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तराखण्ड।

वित्त(वे0आ0-सा0नि0)अनु0-7

देहरादून, दिनांक 09 जून, 2010

विषय: राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2010 से मंहगाई भत्ते का पुनरीक्षण।

पठित निम्नलिखित :-

- 1- शासनादेश संख्या: 297 / xxvii(7)म.भ. / 2009 दिनांक 15 अक्टूबर, 2009।
- 2- भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, कार्यालय ज्ञाप शासनादेश सं0 1 (3) / 2010-ई-ii(बी) दिनांक 26 मार्च, 2010

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त(वे0आ0-सा0नि0)अनु0-7 के शासनादेश संख्या 297 / xxvii(7)म.भ. / 2009 दिनांक 15 अक्टूबर, 2009 द्वारा दिनांक 1 जुलाई, 2009 से मंहगाई भत्ता मूल वेतन के 27 प्रतिशत की दर से अनुमन्य किया गया है।

2- उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्र0 सं0 1 एवं 2 में उल्लिखित शासनादेश शासनादेश संख्या: 297 / xxvii(7) / 2009 दिनांक 15 अक्टूबर, 2009 तथा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, कार्यालय ज्ञाप संख्या: सं0 1 (3) / 2010-ई-ii(बी) दिनांक 26 मार्च, 2010 के क्रम में राज्यपाल महोदय ने दिनांक 1-1-2010 से प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते में 8 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 27 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है।

3- इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के संबंध में शासनादेश संख्या-1-1599 / दस-42(एम) / 97, 23 नवम्बर, 1998 के प्रस्तर-3, 4, 5 एवं 7 में उल्लिखित प्राविधान यथावत् लागू रहेगे।

4- इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत / संशोधित दरों पर मंहगाई भत्ते को दिनांक 01 जनवरी, 2010, से उन कर्मचारियों, जिनकी सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति 01 अक्टूबर, 2005 या उसके बाद हुई हो अर्थात् अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित हैं, को छोड़कर शेष कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2010 से 30 जून, 2010 तक (सेवा निवृत्त एवं 6 माह के अधीन सेवा निवृत्त होने वाले व्यक्तियों को छोड़कर) की बढ़ी हुई धनराशि उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी तथा माह 01 जुलाई, 2010 से इसको नकद भुगतान किया जाएगा। परन्तु 01 अक्टूबर, 2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के अवशेष (एरियर) की धनराशि एन0एस0सी0 के रूप में भुगतान की जायेगा।

5- इस आदेश के द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के भुगतान की प्रक्रिया जो उपरोक्त प्रस्तरों में उल्लिखित है, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर भी लागू होगी।

संख्या : 09/ xxvii(7)म.भ./2009 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार,ओबराय भवन,माजरा,देहरादून।
2. समस्त कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड,देहरादून।
3. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक),भारत सरकार,वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग),
कमरा नं-261,नार्थ ब्लॉक,नई दिल्ली-110001।
4. सचिव,राज्यपाल महोदय,उत्तराखण्ड,देहरादून।
5. सचिव,विधान सभा,उत्तराखण्ड,देहरादून।
6. महानिबन्धक,उच्च न्यायालय,उत्तराखण्ड,देहरादून।
7. रीजनल प्रॉविडेंट फण्ड कमिश्नर,कानपुर/देहरादून।
8. निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवाएं,उत्तराखण्ड,देहरादून।
9. स्थानिक आयुक्त,उत्तराखण्ड,नई दिल्ली।
10. निदेशक,एन0आई0सी0,उत्तराखण्ड,देहरादून।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (सा0नि0-वे0आ0) अनुभाग-7
संख्या 595 /XXVII(7)म0रा0/2010
देहरादून, दिनांक 09 जून, 2010


Government of Uttarakhand
Finance (G.R.-P.C.) Section -7
NO-595 /XXVII(7)DR/2010
Dehradun : Dated : 09 June, 2010

कार्यालय ज्ञाप

वेषय: राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त(वे0आ0-सा0नि0)अनु0-7 के कार्यालय ज्ञाप संख्या:298/xxvii(7)म0रा0/2009 दिनांक 15 अक्टूबर, 2009 द्वारा दिनांक 1-1-2010 से महंगाई राहत 27 प्रतिशत की दर से अनुमन्य किया गया है, के क्रम में श्री राज्यपाल ने राज्य सरकार के समस्त सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक: 15 अक्टूबर 2009 में उल्लिखित दरों का अतिक्रमण करते हुए 1-1-2010 से महंगाई राहत की एक और किरत 08 प्रतिशत (आठ प्रतिशत) की दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है, तदनुसार दिनांक: 1-1-2010 से राहत की दर बढ़कर 35 प्रतिशत हो गई है।

- 2- महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये से गुणांक में आगणित होगी, उसे अगले रूपये में राउण्ड कर दिया जाय।
- 3- यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।
- 4- यह आदेश शिक्षा/प्रविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है पर भी लागू होंगे।
- 5- शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए- 1-252/दस/10(3)-81, दिनांक: 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान के अन्तर्गत महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।
- 6- महंगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।


(राधा रतूड़ी)
सचिव

(257)

Office Memorandum

Subject: Grant of Dearness Relief to state Government Civil/Family Pensioners.

The Undersigned is directed to refer to this office memo No- 298/XXVII(7)DR/2009, dated:15 Oct, 2009 on the subject mentioned above sanctioning an installment of Dearness Relief with effect from 01 July, 2009 and to say that the Governor is pleased to revive the rates of dearness relief admissible to all civil/family pensioners of this Government to compensate them for the rise in the cost of living beyond average consumer price index at the rate of 8% (Eight Percent) with effect from 01 Jan, 2010 in super session of the rates mentioned in the O.M. dated: 15 Oct, 2009 referred to above accordingly the rate of dearness of pension/family pension w.e.f. 01-01-2010 has risen to 35%.


- 2- Payment of dearness relief involving a fraction of a rupee shall be rounded, off to next higher rupee.
- 3- These orders will not be applicable to the Judges of High Court, Chairman and Members of Uttaranchal Public Service Commission, employees of local bodies and Public undertaking/corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective departments.
- 4- These order will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from state under the education/ Technical Education Department whose Pension/Family pension is at par with the pensioners of the state Government.
- 5- As per orders issued in O.M. No. A-1-252/X-10(3)-81, dated: April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M. shall be made by the paying authorities/ Public Sector Banks.
- 6- Others terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as usual.


(Radha Raturi)
Secretary

संख्या: ⁵⁹⁵ /XXVII(7)पें/2010, तददिनांक

प्र लिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


- 1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- समस्त जिलाधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
- 3- क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल।
- 4- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएँ, उत्तराखण्ड।
- 5- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबेराय भवन, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियां इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इसकी प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 6- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 7- उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूडकी को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 500 प्रतियां मुद्रित कराकर वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 8- निदेशक, एन। आई। सी।, देहरादून।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव

संख्या: ⁵⁹⁵ /XXVII(7)P/2010, the date

Copy forwarded to following for information and necessary action

- 1- All Principal Secretaries/Secretaries
- 2- All Head of Department/Offices, Uttrakhand.
- 3- Regional Additional Director Treasury, and Pension Garhwal/ Kumaon Division.
- 4- Director, Treasury and Finance services, Uttrakhand.
- 5- Accountant General Uttrakhand, Oberoy Building, Saharanpur Road, Majra, Dehradun along with 50 extra copies with the request that account officers of other states be also informed please.
- 6- All Treasury Officers, Uttrakhand.
- 7- Deputy Director, Govt. Press, Roorkee with request that 500 copies of this G.O. be got printed and sent to the Govt please.
- 8- Director, N.I.C., Dehradun.

By Order,

(S.C. Pandey)
Addl. Secretary

प्रेषक,

राधा रतूड़ी
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
- 2- वित्त अधिकारी/कुल-सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
- 3- समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तराखण्ड।

वित्त(वे0आ0-सा0नि0)अनु0-7

देहरादून, दिनांक 20 अगस्त, 2010

विषय: दिनांक 1-1-2006 से अपुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत राज्य कर्मचारियों/स्थानीय निकाय तथा सहायता प्राप्त शिक्षण तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को दिनांक 01-01-2010 से मंहगाई भत्ता का पुनरीक्षण।

पठित निम्नलिखित :-

- 1- शासनादेश संख्या:299/xxvii(7)म.भ./2009 दिनांक 15 अक्टूबर, 2009।
- 2- भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, कार्यालय ज्ञाप संख्या-1(3)12008EII(बी) दिनांक 31 मार्च, 2010।


महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत कार्मिकों को वित्त(वे0आ0-सा0नि0) अनु0-7 के शासनादेश संख्या:299/xxvii(7)म.भ./2009 दिनांक 15 अक्टूबर, 2009 द्वारा दिनांक 1-1-2010 से मंहगाई भत्ता मूल वेतन के 73 प्रतिशत की दर से अनुमन्य किया गया है।

2- उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क0 सं0 1 एवं 2 में उल्लिखित शासनादेश दिनांक: 15 अक्टूबर, 2009 एवं 31 मार्च, 2010 के क्रम में दिनांक 1-1-2006 से अपुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत राज्य कर्मचारियों/स्थानीय निकाय में कार्यरत कर्मचारियों तथा सहायता प्राप्त शिक्षण तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों का दिनांक 01-01-2010 से मंहगाई भत्ते को 73 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 87 प्रतिशत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के संबंध में शासनादेश संख्या-1-1599/दस-42(एम)/97,23 नवम्बर, 1998 के प्रस्तर-3,4,5 एवं 7 में उल्लिखित प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।


4- इस शासनादेश द्वारा स्वीकृति/संशोधित दरों पर मंहगाई भत्ते को दिनांक 01 जनवरी, 2010, से उन कर्मचारियों जिनकी सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति 01 अक्टूबर, 2005 या उसके बाद हुई हो अर्थात् अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित हैं, को छोड़कर, शेष कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2010 से 31 जुलाई, 2010 तक की बड़ी धनराशि उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी तथा माह 01 अगस्त, 2010 से नकद भुगतान किया जाएगा, परन्तु 01 अक्टूबर, 2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के अवशेष(एरियर) की धनराशि एन0एस0सी0 के रूप में भुगतान किया जायेगा।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

संख्या : 652 / xxvii(7)म.भ./2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार,ओबराय भवन,माजरा,देहरादून।
2. प्रमुख सचिव ,सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग,उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड,देहरादून।
4. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक),भारत सरकार,वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), कमरा नं-261,नार्थ ब्लॉक,नई दिल्ली-110001।
5. सचिव,राज्यपाल महोदय,उत्तराखण्ड,देहरादून।
6. सचिव,विधान सभा,उत्तराखण्ड,देहरादून।
7. महानिबन्धक,उच्च न्यायालय,उत्तराखण्ड,देहरादून।
8. रीजनल प्रॉविडेन्ट फण्ड कमिश्नर,कानपुर/देहरादून।
9. निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवाएं,उत्तराखण्ड,देहरादून।
10. स्थानिक आयुक्त,उत्तराखण्ड,नई दिल्ली।
11. निदेशक,एन0आई0सी0,उत्तराखण्ड,देहरादून।

आज्ञा से,


(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव।

कार्यालय ज्ञाप

विषय: राज्य सरकार के अपुनरीक्षित पेंशन प्राप्त करने वाले सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त(वे०आ०-सा०नि०)अनु०-7 के कार्यालय ज्ञाप संख्या:19/xxvii(7)पे०/2008 दिनांक 21 मार्च,2008 द्वारा दिनांक 1-7-2008 से महंगाई राहत की एक किश्त 1-1-2008 से स्वीकृत की गई थी के क्रम में श्री राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार के समस्त अपुनरीक्षित पेंशन प्राप्त करने वाले सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक: 21 मार्च,2008 में उल्लिखित दरों का अतिक्रमण करते हुए दिनांक 01 जुलाई, 2008 से 54 प्रतिशत, दिनांक 1-1-2009 से 64 प्रतिशत, दिनांक 1-7-1009 से 73 प्रतिशत तथा 1-1-2010 से 87 प्रतिशत की दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रुपये से गुणांक में आगणित होगी, उसे अगले रुपये में राउण्ड कर दिया जाय।

3- यह आदेश मा० उच्च न्यायालय के न्यायधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4- यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है पर भी लागू होंगे।

5- शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए- 1-252/दस/10(3)-81, दिनांक: 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान के अन्तर्गत महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

6- महंगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

(राधा कतुरी)
सचिव

Office Memorandum

Subject : Grant of Dearness Relief to state
Government Pre revised Civil /Family Pensioners.

The Undersigned is directed to refer to this office memo No- 19/XXVII(7)DR/2008, dated: 21 March,2008 on the subject mentioned above sanctioning an instalment of Dearness Relief with effect from 01 July, 2008 and to say that the Governor is pleased to revive the rates of dearness relief admissible to all pre revised civil/family pensioners of this Government to compensate them for the rise in the cost of living beyond average consumer price index at the rate of with effect from 01 July, 2008 to 54%, dated 1-1-2009 to 64 %, dated 1-7-2009 to 73 % and dated 1-1-2010 to 87% in super session of the rates mentioned in the O.M. dated: 21 March,2008 referred to above.

2- Payment of dearness relief involving a fraction of a rupee shall be rounded, off to next higher rupee.

3- These orders will not be applicable to the Judges of High Court, Chairman and Members of Uttaranchal Public Service Commission, employees of local bodies and Public undertaking/corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective departments.

4- These order will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from state under the education/ Technical Education Department whose Pension/Family pension is at par with the pensioners of the state Government.

5- As per orders issued in O.M. No. A-1-252/X-10(3)-81, dated: April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M. shall be made by the paying authorities/ Public Sector Banks.


6- Others terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as usual.

(Radha Katuri)
Secretary

संख्या: 653/XXVII(7)पें/2010, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


- 1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- समस्त जिलाधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
- 3- क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल।
- 4- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड।
- 5- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, औबेराय भवन, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियां इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इसकी प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 6- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 7- उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 500 प्रतियां मुद्रित कराकर वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 8- निदेशक, एन0 आई0 सी0, देहरादून।

आज्ञा से,

(एस0सी0पाण्डेय)
अपर सचिव

No. /XXVII(7)P/2010, the date

Copy forwarded to following for information and necessary action.

- 1- All Principal Secretaries/Secretaries.
- 2- All Head of Department/Offices, Uttrakhand.
- 3- Regional Additional Director Treasury and Pension Garhwal/ Kumaon Diveision.
- 4- Director, Treasury and Finance services, Uttrakhand.
- 5- Accountant General Uttrakhand, Oberoy Building, Saharanpur Road, Majra, Dehradun along with 50 extra copies with the request that account officers of other states be also informed please.
- 6- All Treasury Officers, Uttrakhand.
- 7- Deputy Director, Govt. Press, Roorkee with request that 500 copies of this G.O. be got printed and sent to the Govt. please.
- 8- Director, N.I.C., Dehradun.

By Order,

(S.C.Pandey)
Addl. Secretary

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
- 2- वित्त अधिकारी/कुल-सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
- 3- समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तराखण्ड।

वित्त(वे0आ0-सा0नि0)अनु0-7

देहरादून, दिनांक 26 अक्टूबर, 2010

विषय: राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को दिनांक 01 जुलाई, 2010 से मंहगाई भत्ते का पुनरीक्षण।

पठित निम्नलिखित :-

- 1- शासनादेश संख्या:579/xxvii(7)म.भ./2010 दिनांक 09 जून, 2010।
- 2- भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, कार्यालय ज्ञाप शासनादेश सं0 1(6)/2010 - संस्था-ii(ख)दिनांक 22 सितम्बर, 2010।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त(वे0आ0-सा0नि0)अनु0-7 के शासनादेश संख्या 579/xxvii(7)म.भ./2010 दिनांक 09 जून, 2010 द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2010 से मंहगाई भत्ता मूल वेतन के 35 प्रतिशत की दर से अनुमन्य किया गया है।


2- उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सं0 1 एवं 2 में उल्लिखित शासनादेश शासनादेश संख्या:579/xxvii(7)/2010 दिनांक 09 जून, 2010 तथा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, कार्यालय ज्ञाप संख्या: 1(6)/2010- संस्था -ii (ख)दिनांक 22 सितम्बर, 2010 के क्रम में राज्यपाल महोदय ने दिनांक 1-7-2010 से प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 35 प्रतिशत से बढ़ाकर 45 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है।

3- इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के संबंध में शासनादेश संख्या-1-1599/दस-42(एम)/97, 23 नवम्बर, 1998 के प्रस्तर-3, 4, 5 एवं 7 में उल्लिखित प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।

4- इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत/संशोधित दरों पर मंहगाई भत्ते को दिनांक 01 जुलाई, 2010, से उन कर्मचारियों, जिनकी सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति 01 अक्टूबर, 2005 या उसके बाद हुई हो (अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित हैं) को छोड़कर शेष कर्मचारियों को दिनांक 01 जुलाई, 2010 से 31 अक्टूबर, 2010 तक (सेवा निवृत्त एवं 6 माह के अधीन सेवा निवृत्त होने वाले व्यक्तियों को छोड़कर) की बढ़ी हुई धनराशि उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी तथा माह 01 नवम्बर 2010 से इसको नकद भुगतान किया जाएगा। परन्तु 01 अक्टूबर, 2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के अवशेष (एरियर) की धनराशि एन0एस0सी0 के रूप में भुगतान की जायेगी।

5- इस आदेश के द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के भुगतान की प्रक्रिया जो उपरोक्त प्रस्तरों में उल्लिखित है, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर भी लागू होगी।


भवदीय,


(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार,ओबराय भवन,माजरा,देहरादून।
2. समस्त कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड,देहरादून।
3. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक),भारत सरकार,वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), कमरा नं-261,नार्थ ब्लॉक,नई दिल्ली-110001।
4. सचिव,राज्यपाल महोदय,उत्तराखण्ड,देहरादून।
5. सचिव,विधान सभा,उत्तराखण्ड,देहरादून।
6. महानिबन्धक,उच्च न्यायालय,उत्तराखण्ड,देहरादून।
7. रीजनल प्रॉविडेन्ट फण्ड कमिश्नर,कानपुर/देहरादून।
8. निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवाएं,उत्तराखण्ड,देहरादून।
9. वित्त, आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
10. स्थानिक आयुक्त,उत्तराखण्ड,नई दिल्ली।
11. निदेशक,एन0आई0सी0,उत्तराखण्ड,देहरादून।

आज्ञा से,


(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव।

कार्यालय ज्ञाप

Office Memorandum

विषय: राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

Subject : Grant of Dearness Relief to state Government Civil/Family Pensioners.

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त(वे0आ0-सा0नि0)अनु0-7 के कार्यालय ज्ञाप संख्या:595/xxvii(7)म0रा0/2010 दिनांक 09 जून, 2010 द्वारा दिनांक 1-1-2010 से महंगाई राहत 35 प्रतिशत की दर से अनुमन्य किया गया है, के क्रम में श्री राज्यपाल ने राज्य सरकार के समस्त सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक: 09 जून, 2010 में उल्लिखित दरों का अतिक्रमण करते हुए 1-7-2010 से महंगाई राहत की एक और किश्त 10 प्रतिशत (दस प्रतिशत) की दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है, तदनुसार दिनांक: 1-7-2010 से राहत की दर बढ़कर 45 प्रतिशत हो गई है।

The Undersigned is directed to refer to this office memo No- 595/XXVII(7)DR/2010, dated:09 June, 2010 on the subject mentioned above sanctioning an installment of Dearness Relief with effect from 01 January, 2010 and to say that the Governor is pleased to revive the rates of dearness relief admissible to all civil/family pensioners of this Government to compensate them for the rise in the cost of living beyond average consumer price index at the rate of 10% (Ten Percent) with effect from 01 July, 2010 in super session of the rates mentioned in the O.M. dated: 09 June, 2010 referred to above accordingly the rate of dearness of pension/family pension w.e.f. 01-07-2010 has risen to 45%.

2- महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रुपये से गुणांक में आगणित होगी, उसे अगले रुपये में राउण्ड कर दिया जाय।

2- Payment of dearness relief involving a fraction of a rupee shall be rounded, off to next higher rupee.

3- यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

3- These orders will not be applicable to the Judges of High Court, Chairman and Members of Uttaranchal Public Service Commission, employees of local bodies and Public undertaking/corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective departments.

4- यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है पर भी लागू होंगे।


4- These order will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from state under the education/ Technical Education Department whose Pension/Family pension is at par with the pensioners of the state Government.


5- शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए- 1-252/दस/10(3)-81, दिनांक: 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान के अन्तर्गत महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

5- As per orders issued in O.M. No. A-1-252/X-10(3)-81, dated: April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M. shall be made by the paying authorities/ Public Sector Banks.

6- महंगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

6- Others terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as usual.


(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव


(Alok Kumar Jain)
Principal Secretary

संख्या: 7. /XXVII(7)पें/2010, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- समस्त जिलाधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
- 3- क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल।
- 4- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड।
- 5- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबेराय भवन, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियां इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इसकी प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 6- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 7- उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूडकी को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 500 प्रतियां मुद्रित कराकर वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 8- वित्त, आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
- 9- निदेशक, एन0 आई0 सी0, देहरादून।

आज्ञा से

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव

No. 7/XXVII(7)P/2010, the date

Copy forwarded to following for information and necessary action.

- 1- All Principal Secretaries/Secretaries.
- 2- All Head of Department/Offices, Uttrakhand
- 3- Regional Additional Director Treasury and Pension Garhwal/ Kumaon Diveision.
- 4- Director, Treasury and Finance services, Uttrakhand.
- 5- Accountant General Uttrakhand, Oberoy Building, Saharanpur Road, Majra, Dehraaun along with 50 extra copies with the request that account officers of other states be also informed please.
- 6- All Treasury Officers, Uttrakhand.
- 7- Deputy Director, Govt. Press, Roorkee with request that 500 copies of this G.O. be got printed and sent to the Govt please.
- 8- Finance, audit sale, Govt. of Uttrakhand.
- 9- Director, N.I.C., Dehradun.

By Order,

(S.C. Pandey)
Addl. Secretary

प्रेषक,

राधा रतूड़ी
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
- 2- वित्त अधिकारी/कुल-सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
- 3- समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तराखण्ड।

वित्त(वे0आ0-सा0नि0)अनु0-7

देहरादून, दिनांक 08 नवम्बर, 2010

विषय: दिनांक 1-1-2006 से अपुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत राज्य कर्मचारियों/स्थानीय निकाय तथा सहायता प्राप्त शिक्षण तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को दिनांक 01-07-2010 से मंहगाई भत्ता का पुनरीक्षण।

पठित निम्नलिखित :-

- 1- शासनादेश संख्या:652/xxvii(7)म.भ./2010 दिनांक 20 अगस्त, 2010।
- 2- भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, कार्यालय ज्ञाप संख्या-1(3)12008 संस्था-II(ख) दिनांक 29 सितम्बर, 2010।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत कार्मिकों को वित्त(वे0आ0-सा0नि0) अनु0-7 के शासनादेश संख्या:652/xxvii(7)म.भ./2010 दिनांक 20 अगस्त, 2010 द्वारा दिनांक 1-1-2010 से मंहगाई भत्ता मूल वेतन के 87 प्रतिशत की दर से अनुमन्य किया गया है।

2- उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क0 सं0 1 एवं 2 में उल्लिखित शासनादेश दिनांक: 20 अगस्त, 2010 एवं 29 सितम्बर, 2010 के क्रम में दिनांक 1-1-2006 से अपुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत राज्य कर्मचारियों/स्थानीय निकाय में कार्यरत कर्मचारियों तथा सहायता प्राप्त शिक्षण तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों का दिनांक 01-07-2010 से मंहगाई भत्ते को 87 प्रतिशत से बढ़ाकर 103 प्रतिशत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के संबंध में शासनादेश संख्या-1-1599/दस-42(एम)/97,23 नवम्बर, 1998 के प्रस्तर-3,4,5 एवं 7 में उल्लिखित प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।

4- इस शासनादेश द्वारा स्वीकृति/संशोधित दरों पर मंहगाई भत्ते को दिनांक 01 जुलाई, 2010, से उन कर्मचारियों जिनकी सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति 01 अक्टूबर, 2005 या उसके बाद हुई हो अर्थात् (अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित) को छोड़कर, शेष कर्मचारियों को दिनांक 01 जुलाई, 2010 से 31 अक्टूबर, 2010 तक (सेवानिवृत्त अथवा 6 माह के अधीन सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को छोड़कर) की बढ़ी धनराशि उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी तथा दिनांक 01 नवम्बर, 2010 से नकद भुगतान किया जाएगा, परन्तु 01 अक्टूबर, 2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के अवशेष(एरियर) की धनराशि एन0एस0सी0 के रूप में भुगतान की जायेगी।

भवदीय,


(राधा रतूड़ी)
सचिव।

संख्या : 745 / xxvii(7)म.भ. / 2010 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार,ओबराय भवन,माजरा,देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग,उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड,देहरादून।
4. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक),भारत सरकार,वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), कमरा नं-261,नार्थ ब्लॉक,नई दिल्ली-110001।
5. सचिव,राज्यपाल महोदय,उत्तराखण्ड,देहरादून।
6. सचिव,विधान सभा,उत्तराखण्ड,देहरादून।
7. महानिबन्धक,उच्च न्यायालय,उत्तराखण्ड,देहरादून।
8. रीजनल प्रॉविडेन्ट फण्ड कमिश्नर,कानपुर/ देहरादून।
9. निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवाएं,उत्तराखण्ड,देहरादून।
10. वित्त, आडिट प्रकोष्ठ,उत्तराखण्ड शासन।
11. स्थानिक आयुक्त,उत्तराखण्ड,नई दिल्ली।
12. निदेशक,एन0आई0सी0,उत्तराखण्ड,देहरादून।

आज्ञा से,



(शरद चन्द्र पाण्डेय)

अपर सचिव।

उत्तराखण्डशासन
वित्त (सा0नि0-वे0आ0) अनुभाग-7
संख्या 653 / XXVII(7)म0रा0 / 2010
देहरादून, दिनांक 24 दिसम्बर, 2010

Government of Uttarakhand
Finance (G.R.-P.C.) Section -7
NO-80 / XXVII(7)DR/2010
Dehradun : Dated 24 December, 2010

Office Memorandum

कार्यालय ज्ञाप

विषय: राज्य सरकार के अपुनरीक्षित पेंशन प्राप्त करने वाले सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त(वे0आ0-सा0नि0)अनु0-7 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 653/xxvii(7)मं.रा./2010 दिनांक 20 अगस्त, 2010 द्वारा दिनांक 1-1-2010 से महंगाई राहत की 87 प्रतिशत की एक किश्त स्वीकृत की गई थी के कम में श्री राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार के समस्त अपुनरीक्षित पेंशन प्राप्त करने वाले सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक: 20 अगस्त, 2010 में उल्लिखित दरों का अतिक्रमण करते हुए दिनांक 01 जुलाई, 2010 से 103 प्रतिशत, दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- 2- महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रुपये से गुणांक में आगणित होगी, उसे अगले रुपये में राउण्ड कर दिया जाय।
- 3- यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।
- 4- यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है पर भी लागू होंगे।
- 5- शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए- 1-252/दस/10(3)-81, दिनांक: 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान के अन्तर्गत महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।
- 6- महंगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

(राधा रतूडी)
सचिव

Subject:-Grant of Dearness Relief to state Government Pre revised Civil /Family Pensioners.

The Undersigned is directed to refer to this office memo No-653/XXVII(7)DR/2010, dated. 20 August, 2010 on the subject mentioned above sanctioning an instalment of Dearness Relief with effect from 1-1-2010 and to say that the Governor is pleased to revive the rates of dearness relief admissible to all pre revised civil/family pensioners of this Government to compensate them for the rise in the cost of living beyond average consumer price index at the rate of with effect from 01 July, 2010 to 103 %, in super session of the rates mentioned in the O.M. dated: 20 August, 2010 referred to above.

- 2- Payment of dearness relief involving a fraction of a rupee shall be rounded, off to next higher rupee.
- 3- These orders will not be applicable to the Judges of High Court, Chairman and Members of Uttaranchal Public Service Commission, employees of local bodies and Public undertaking/corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective departments.
- 4- These order will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from state under the education/ Technical Education Department whose Pension/Family pension is at par with the pensioners of the state Government.
- 5- As per orders issued in O.M. No. A-1-252/X-10(3)-81, dated: April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M. shall be made by the paying authorities/ Public Sector Banks.
- 6- Others terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as usual.

(Radha Rat. ii)
Secretary


संख्या: 80/XXVII(7)म.रा./2010, तददिनांक


प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- समस्त जिलाधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
- 3- क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल।
- 4- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड।

5- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबेराय भवन, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियां इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इसकी प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

- 6- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 7- उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 500 प्रतियां मुद्रित कराकर वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 8- निदेशक, एन0 आई0 सी0, देहरादून।

आज्ञा से,

(आर0सी0आर्वाल)
अपर सचिव

By Order,

(R.C. Agarwal)
Addl. Secretary

No. 80/XXVII(7)DR/2010, the date

Copy forwarded to following for information and necessary action.

- 1- All Principal Secretaries/Secretaries
- 2- All Head of Department/Offices, Uttarakhand.
- 3- Regional Additional Director Treasury and Pension Garhwal/ Kumaon Division.
- 4- Director, Treasury and Finance services, Uttarakhand.
- 5- Accountant General Uttarakhand, Oberoy Building, Saharanpur Road, Majra, Dehradun along with 50 extra copies with the request that account officers of other states be also informed please.
- 6- All Treasury Officers, Uttarakhand.
- 7- Deputy Director, Govt. Press, Roorkee with request that 500 copies of this G.O. be got printed and sent to the Govt. please.
- 8- Director, N.I.C., Dehradun.